।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक दिनांक 30.07.2019 का कार्यवाही विवरण::

राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1958 के संशोधित नियम 1994 के नियम 2 (एफ) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक **दिनांक 30.07.2019 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर** की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

1. **श्री विक्रम सिंह,** — **सदस्य**
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।

2. **श्री विकास कुमार,** — **सदस्य**
   उप महानिरीक्षक कारागार
   रेंज, जयपुर।

3. **श्री कैलाश चन्द,** — **सदस्य**
   उप शासन सचिव,
   गृह (ग्रुप–12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

4. **श्री सत्यपाल जांगिड़,** — **सदस्य**
   सहायक निदेशक,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

समिति द्वारा 47 बंदियों के स्थाई पैरोल प्रकरणों पर विचार किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **स्वीकृत प्रकरणों का विवरण**

1. **जगदीश चन्द्र पुत्र रतनलाल, जाति–जाट, निवासी–मुगांणा, पुलिस थाना–कपासन, जिला–चित्तौड़गढ़ (बं.खु.शि. चित्तौड़गढ़):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) चित्तौड़गढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 25/05 अंतर्गत धारा 302, 201, 380, 379 आई.पी.सी. एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 03.10.2006 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 04 माह 05 दिवस की सज़ा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 03 माह 03 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।